उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-56/2020/एस-2-1423/दस-2020-88क(1)/2018
लखनऊ :: दिनाँक: 30 जुलाई, 2020

कार्यालय-आदेश

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारी श्री राजेश सिंह, वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0, कानपुर को उनके अपने कार्य के साथ-साथ अर्थ नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्या कुमार
अनु सचिव

संख्या-56/2020/एस-2-1423(1)/दस-2020, तददिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, शासन।
2- कुल सचिव, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
3- कुल सचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।